

192  
2021

2021/330

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

उपखण्ड गांवों के लिए अधिसूचना 2021 आर.311

-आदेश-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भूअनि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जयवर्मा	78, 130 131	मालीगान पुप देवा मालीगान पुप देवा	मालीगान पुप देवा मालीगान पुप देवा अमल दरामद के आदेश के लिए 5 महीने का समय उपलब्धी

(  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहा. कलेक्टर

क्रमांक :- 823-824

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 24.11.21

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलेक्टर

24/11/21